यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल
अप्रैल–जून 2021
वर्ष 11, अंक–22

मूल्य–100/-
ISSN NO. 2320-5733

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक

डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक एवं परामर्श

डॉ. रमा

संपादक

डॉ. महेन्द्र प्रजापति

संपादन सहयोग

रीमा प्रजापति

आवरण चित्र

अंकीता चौहान

ले-आउट

हर्ष कंप्यूटर्स

संपादकीय कार्यालय

मकान नं. 189, ब्लॉक-एच
विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार

एफ-114, तृतीय तल, SLF, वेद विहार
नियर : शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता

आजीवन : 5000/- रुपए
संपर्क : 9871907081
वेबसाइट : www.samsamyiksrijan.com
Email : samsamyik.srijan@gmail.com

प्रकाशन एवं मुद्रण

हरिन्द्र तिवारी

हंस प्रकाशन, दिल्ली
मो. : 7217610640, 9868561340
ईमेल : hansprakashan88@gmail.com
बेवसाइट : www.hansprakashan.com

पृ.सं.

- **रमेश पोखरियाल निशंक... :** *प्रो. रमा* 3
- **साहित्य का सामर्थ्य :** *सत्यकेतु सांकृत* 5
- **'कब होगी वह भोर... :** *डॉ. जी. वी. रत्नाकर* 7
- **अभिशप्त जीवन 'दोहरा... :** *वंदना एस.* 9
- **शिक्षक शिक्षा का विकास... :** *संजय यादव* 15
- **गोरख पांडेय की कविता... :** *प्रीति प्रसाद* 18
- **ज्ञान प्रकाश विवेक के उपन्यास... :** *इंदु रानी* 21
- **हिंदी दलित कथा साहित्य... :** *एल. अनिल* 24
- **'स्वर्ग की अदालत' का नाटक... :** *तितिक्षा जी वसावा* 27
- **'कुमारजीव' : जीवन के ध्येय... :** *कुमार सौरभ* 30
- **भारतीय समाज में तृतीय लिंगी... :** *हेमंत यादव* 33
- **'रागदरबारी' की भाषा में... :** *डॉ. शिप्रा श्रीवास्तव 'सागर'* 36
- **मितभाषण : भावनाओं के... :** *मुनि कुमार श्रमण* 39
- **एक बहुआयामी व्यक्तित्व... :** *डॉ. सुमन फुलारा* 43
- **साहित्य और विभाजन : संदर्भ... :** *निधि वर्मा* 45
- **नासिरा शर्मा के कथा साहित्य... :** *अजय कुमार* 48
- **मृणाल पाण्डे के सांस्कृतिक... :** *आलोक कुमार तिवारी* 52
- **माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों... :** *अमित कुमार दूबे* 55
- **मीनाक्षी स्वामी के उपन्यासों... :** *विजय कुमार पाल* 58
- **'हरित मानव की तलाश' :** *बिजीना टी.* 62
- **विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की... :** *डॉ. जगदीश* 65
- **महादेवी वर्मा का नारी चिंतन... :** *डॉ. सुनीता शर्मा* 69
- **अज्ञेय के कथा-साहित्य में... :** *डॉ. सुरेद्र शर्मा* 72
- **एकांत के आख्यान को रचती... :** *कार्तिक राय* 76
- **विनोबा भावे जी के शिक्षा... :** *डॉ. गिरीश कुमार द्विवेदी* 79
- **मुंशी प्रेमचंद : आदर्शवाद से... :** *जितेंद्र शर्मा* 82
- **उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य... :** *सोनी यादव* 85
- **हिंदी साहित्य में रसानुभूति की... :** *विशाल मिश्रा* 89
- **चित्रा मुद्गल की कहानियों... :** *कृपा शंकर* 92
- **अमरकांत के कथा साहित्य... :** *अशोक कुमार यादव* 95
- **काशीनाथ सिंह की उपन्यासिक... :** *देवव्रत यादव* 98
- **सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य... :** *ललिता देवी* 101
- **प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के... :** *पीयूष कांती* 104
- **समाज के उन्नयन में अल्पसंख्यक... :** *अजीत कुमार मिश्र* 108
- **मंगलेश डबराल के काव्य में... :** *सुरेश कुमार मिश्र* 110
- **बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की... :** *डॉ. सरोज राय* 112
- **रामनरेश त्रिपाठीजी के सृजन... :** *डॉ. अवनीश कुमार* 116
- **ललित निबंधों में समाज की... :** प्रदीप कुमार तिवारी 119

स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी : *डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच.-ब्लॉक, मकान नं. 189, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित।*

• **'थर्ड जेंडर' एवं...** : *प्रियंका कलिता* 123
• **बद्री सिंह भाटिया के...** : *कुसुम देवी* 125
• **मध्यवर्ग के परिप्रेक्ष्य में...** : *बलजिंदर कुमार* 128
• **धार्मिक शोषण का...** : *एन आर सेतु लक्ष्मी* 132
• **पति-पत्नी के अहं के...** : *स्नेहा शर्मा* 135
• **नागार्जुन के साहित्यिक...** : *संदीप कुमार* 138
• **बाँसवाड़ा...** : *डॉ. सौरभ त्यागी-सुरभी दोषी* 140
• **सम्मेलन पत्रिका का...** : *त्रिभुवन गिरि* 145
• **बाणभट्ट की आत्मकथा का...** : *चंदन कुमार* 148
• **अमरकांत कीं...** : *अजीत कुमार पटेल* 151
• **रामविलास शर्मा के...** : *डॉ. अजीत सिंह* 154
• **चित्रा मुद्गल के...** : *डॉ. अमिता तिवारी* 158
• **विवेकी राय का कविता...** : *अनुपमा तिवारी* 161
• **वर्तमान समय में...** : *डॉ. आशीष यादव* 164
• **भारतेंदुयुगीन कविता...** : *डॉ. भास्कर लाल कर्ण* 167
• **भोजपुरी बारहमासा...** : *भव्या कुमारी* 172
• **नारी मुक्ति का...** : *डॉ. बीना जैन* 175
• **हिंदी पत्रकारिता...** : *डॉ. चयनिका उनियाल* 178
• **लोकमानस के अनूठे...** : *डॉ. छोटू राम मीणा* 181
• **महामारी कोविड-19 के...** : *डॉ. ऋषिपाल-डॉ. ज्योति श्योराण-डॉ. जयपाल मेहरा डॉ. निधि जैन-सुश्री पल्लवी* 185
• **योग : विश्व...** : *डॉ. दयाशंकर सिंह यादव* 189
• **पूना पैक्ट की...** : *डॉ. दीपक कुमार गुप्ता* 192
• **लोकमान्य तिलक...** : *डॉ. राजेश कुमार शर्मा* 195
• **मानवतावादी व महिला...** : *डॉ. संगीता शर्मा* 200
• **वर्तमान परिपेक्ष्य में...** : *डॉ. शारदा देवी* 204
• **संस्कृति के वाहक...** : *डॉ. भारती बतरा* 208
• **हरियाणवी सिनेमा में...** : *डॉ. जयपाल मेहरा* 211
• **महादेवी वर्मा की...** : *डॉ. गीता पांडेय* 214
• **'मानस' में उपलब्ध...** : *डॉ. गीता कौशिक* 218
• **साहित्य संबंधी प्रेमचंद...** : *ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह* 221
• **सावित्री बाई फुले...** : *डॉ. हंसराज 'सुमन'* 226
• **हिंदू धर्मशास्त्र और...** : *डॉ. अमिष वर्मा* 229
• **भूमंडलीकरण और...** : *हुलासी राम मीना* 234
• **हिंदी की आदिवासी...** : *डॉ. जसपाल कौर* 237
• **रामधारी सिंह...** : *डॉ. जायदासिकंदर शेख* 240
• **डॉ. रामविलास शर्मा...** : *डॉ. जितेश कुमार* 244
• **वर्तमान पत्रकारिता में...** : *कामरान वासे* 247
• **'पद्मावत' में प्रेम...** : *केदार मंडल* 251
• **आदिवासी कविताओं...** : *प्रो. खेमसिंह डहेरिया* 254
• **क्षेत्रीय मौखिक...** : *रंजन कुमार* 257
• **अपने स्वत्व को...** : *लक्ष्मी विश्नोई* 260
• **श्रीलाल शुक्ल...** : *सुधीर कुमार जोशी* 263
• **आत्मनिर्भर महिलाओं...** : *डॉ. बिजेंद्र कुमार* 267
• **श्यौराज सिंह बैचेन...** : *डॉ. मणिबेन पटेल* 270
• **भारतीय समाज में...** : *मनीष कुमार सिंह* 273
• **आधुनिक इतिहास में...** : *डॉ. मेघना शर्मा* 276
• **निर्गुण संतों की...** : *डॉ. प्रदीप कुमार'* 280
• **दलित और...** : *डॉ. नुरजाहान रहमातुल्लाह* 283
• **भारत में भाषाई...** : *ओमप्रकाश यादव* 286
• **मानवीय संस्कृति...** : *डॉ. प्रवीण कुमार* 290
• **कामाख्या शक्तिपीठ...** : *डॉ. प्रीति बैश्य* 296
• **'मोहन राकेश की...** : *प्रिया पाण्डेय* 299
• **हिंदी गजल...** : *डॉ. जियाउर रहमान जाफरी* 303
• **भीष्म साहनी का...** : *डॉ. राम किंकर पाण्डेय* 306
• **भारत की नई शिक्षा...** : *डॉ. रमेश कुमार* 310
• **श्रीलाल शुक्ल के...** : *रवीश कुमार यादव* 313
• **शैलेंद्र के भोजपुरी...** : *डॉ. संगीता राय* 315
• **रामनरेश त्रिपाठी...** : *संजीव कुमार पाण्डेय* 319
• **सूर्यकांत त्रिपाठी...** : *सरिता कुमारी* 322
• **मृदुला गर्ग के...** : *डॉ. सविता डहेरिया* 325
• **मोहन राकेश की...** : *डॉ. सुनील कुमार सुधांशु* 331
• **मीडिया में दलितों का...** : *डॉ. स्वर्ण सुमन* 334
• **डॉ. कुँअर बेचैन की...** : *तेज प्रताप* 340
• **जनजातीय..** : *डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय* 344
• **हिंदी दलित कविता...** : *विजय कुमार* 348
• **आधुनिक हिंदी...** : *विकास कुमार सिंह* 351
• **हिंदी साहित्य में...** : *विनय कुमार पाठक* 354
• **वैश्वीकरण और...** : *मुरली मनोहर भट्ट* 357
• **सुभद्रा कुमारी...** : *अनिता उपाध्याय* 360
• **हिंदी रंगमंच की...** : *डॉ आशा-डॉ. अनिल शर्मा* 363
• **जनमाध्यम के रूप...** : *डॉ. योगेश कुमार गुप्ता* 367
• **परंपराओं और...** : *डॉ. नीरव अडालजा* 372
• **हिंदी कथा साहित्य...** : *प्रियंका कुमारी गर्ग* 377
• **वैश्वीकरण की दौड़...** : *डॉ. कमलेश कुमारी* 381
• **'रामचरितमानस' में...** : *डॉ. हेमवती शर्मा* 385
• **रघुवीर सहाय के...** : *प्रतिभा देवी* 387
• **भारतीय संस्कृति बनाम...** : *डॉ. स्वाति श्वेता* 390
• **अनौपचारिक...** : *मुकेश कुमार मीना-विनोद सेन* 394
• **इतिहास शिक्षण में...** : *डॉ. अजीत कुमार बोहत* 398
• **परंपरागत नृत्य कलाओं...** : *डॉ. दिलावर सिंह* 401
• **राष्ट्रीय शिक्षा...** : *मोनिका कौल-ईश्वर सिंह* 405
• **सामाजिक माध्यमों...** : *डॉ. अनिल कुमार* 408
• **हिंदी सिनेमा...** : *डॉ. संतोष कु. सिंह* 412

अनौपचारिक क्षेत्र के भारतीय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का मूल्यांकन

मुकेश कुमार मीना
विनोद सेन

सार

भारत का लगभग 93 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमे स्व रोजगार और रोजगार इकाइयाँ भी शामिल हैं और ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 58 प्रतिशत का योगदान देता है। अनौपचारिक क्षेत्र का आकर इतना बड़ा है कि इसकी प्रकृति, विस्तार, और योगदान का सही अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। श्रम मंत्रालय के द्वारा भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र को श्रमबल को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से संकट ग्रस्त श्रेणियों और सेवाओं में वर्गीकृत किया है। ये शोध पत्र में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक के प्रमुख लक्षण का वर्णन किया गया है। साथ ही असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, के प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की गई है। इस शोध पत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, श्रमिको हेतु सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिको के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का मूल्याकंन किया गया है।

मुख्य शब्द : अनौपचारिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, असंगठित क्षेत्र श्रमिक।

परिचय : वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण योगदान है विश्व के संपूर्ण रोजगार में 60 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका अनौपचारिक क्षेत्र से अर्जित कर रहे है। अनौपचारिकता विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्था में पायी जाती है लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की यह एक प्रमुख आर्थिक विशेषता है। अनौपचारिक क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओ में रोजगार सृजन, उत्पादन और आय सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में विश्व में लगभग 2 मिलियन लोग कार्यरत है; ये लोग इस क्षेत्र में स्वेच्छा से न होकर अपनी संसाधनों की कमी के कारण इस क्षेत्र में आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार के अवसरों और गरीबी उन्मूलन में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों के लिए आय-अर्जन के अवसर पैदा करता है। एक ओर, अनौपचारिक रोजगार उन श्रमिकों के लिए एक आय प्रदान कर सकता है, जो औपचारिक क्षेत्र में नौकरी नहीं पा सकते (रिपोर्ट, 2018)। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आय, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, असमानता में कमी में अनौपचारिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केवल 12.5 मिलियन लोग बड़े कार्पोरेट हॉउस में काम करते हैं जबकि 120 मिलियन लोग एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में काम करते हैं हमे व्यक्तियों के पिरामिंड के इस निचले क्षेत्र की उर्जा को पहचानना होगा और उसे उपर उठने के संसाधन उपलब्ध करवाने होगे। (सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्घाटन के अवसर पर) यह वाक्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लधु और मध्यम क्षेत्र के योगदान को बताते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र को आधार प्रदान करता है।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिको का विस्तार और वर्गीकरण : असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र से कुछ विशेषताओ और प्रक्रिया और के आधार पर अलग किया जाता है सामान्तया असंगठित श्रमिक का उपयोग संगठित क्षेत्र के बाहर श्रमिक वर्ग को कुछ लाभ या अधिकारों की उपलब्धता की बात करने के लिए किया गया था। इसे अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा गया। यह परिभाषित किया गया था कि श्रमिकों के समूह, जिन्हें परिभाषा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उन लोगों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो बाधाओं के कारण एक सामान्य उद्देश्य की खोज में व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं।

पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) की रिपोर्ट बताती है कि संगठित क्षेत्र क्या हैं, और इसके आधार पर राष्ट्रीय श्रम आयोग सूचीबद्ध और असंगठित श्रमिक कार्यबल की निम्न श्रेणियों की पहचान करता है। निर्माण श्रमिकों सहित अनुबंध श्रम, लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिक, दुकान और प्रतिष्ठानों में कर्मचारी, बाल श्रम, कृषि और ग्रामीण श्रमिक, आकस्मिक श्रम, बंधुआ मजदूर, महिला श्रम, हथकरघा और बिजलीकरण श्रमिक, बीडी और सिगार के मजदूर, स्वीपर और मैला ढोने वाले,

आदिवासी श्रम इत्यादी।

ये कम विषेशाधिकार प्राप्त श्रमिक कार्यबल की श्रेणियों है और जिन्हे आर्थिक और सामाजिक जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा परिचालित प्रश्नावली निम्नलिखित श्रेणियों को असंगठित ग्रामीण श्रम की आमतौर पर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के रूप में बताती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार भारत के 93 प्रतिशत कार्यबल में असंगठित क्षेत्र में स्व रोजगार और रोजगार इकाइया में शामिल हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा श्रमबल को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से संकट ग्रस्त श्रेणियों और सेवाओं में वर्गीकृत किया है।

व्यवसाय के संदर्भ मे लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, फसल काटने वाले, मछुआरें जो पशुपालन में लगे हुए है, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैंकिग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, बुनकर, कारीगर, नमक कर्मचारी, इंट भट्टों में काम करने वाले और पत्थर की खदाने, आरा मिलों, तेल मिलों के श्रमिक आदी इस श्रेणी मे आते हैं।

रोजगार की प्रकृति के अनुसार-बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर इसके अंतर्गत आते हैं।

भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र : एक विश्लेषण-विशेष रूप से संकटग्रस्त श्रेणियों के संदर्भ में टोड़ी टैपर, मेहतर, सिर के भार के वाहक, पशुचालित वाहनों के चालक, लोडर और अन लोडर इस श्रेणी में आते हैं।

सेवा श्रेणियों के संदर्भ में, घरेलू कामगर, मछुआरे, महिलाएँ, नाई, सब्जी व फल विक्रेता, न्यूज पेपर विक्रेता आदि इस श्रेणी के हैं।

इन चार श्रेणियों के अलावा असंगठित श्रम बल का एक बड़ा वर्ग मौजूद है जैसे कि कोबल्बर, हैंडीक्राफ्ट कारीगर, हैंडलूम बुनकर, लेड़ी टेलर्स, शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार वाले व्यक्ति, रिक्शा मजदूर, ऑटो चालक, सेरीकल्चर वर्कर्स, बढ़ई, टेनरी वर्कर, पॉवर लूम श्रमिकों और शहरी गरीब। यद्यपि तीव्रता और सटीकता पर सांख्यिकीय जानकारी की उपलब्धता में काफी भिन्नता है, असंगठित श्रमिकों की सीमा कृषि श्रमिकों, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और घर आधारित श्रमिकों के बीच काफी अधिक है। इस प्रकार इन सभी श्रमिको के लिए संगठित क्षेत्र की बेसिक सुविधाये एक चुनौती है

श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो की 2013-14 की ''रिपोर्ट ओन एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड कंडिशन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार श्रम शक्ति का 90 : और जी एन पी का 50% अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है।

अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) 2019 की रिपोर्ट ''इन्फोर्मल सेक्टर ट्रेंड इन द इंडियन इकोनोमी : परसिस्टेंट इन्फोर्मलिटी, बट ग्रोविंग पोजिटिव डेवलपमेंट'' में अर्थव्यवस्था में कृषि, गैर कृषि, अर्बन और नोंन अर्बन हर क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में अनौपचारिकता को स्वीकार किया है।

असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता :

अनौपचारिक क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा के विषय है 11-12 मई, 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चर्चा में सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देने, श्रम बाजारों को आकार देने, श्रमशक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में घंटे या पार्ट-टाइम के हिसाब से काम करने वालों (गिग) तथा किसी संगठन से जुड़कर काम करने वालों (प्लेटफॉर्म) के रोजगार के मुद्दों पर जोर दिया। इस क्षेत्र में परस्पर तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग बढ़ाने की बात कही-(PIB-GOI)।

श्रम बाजार के सगंठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात काफी कम हो रहा है, और असंगठित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है श्रमिको में असमानताओं में वृद्दी हो रही है, साथ ही कार्य बल के लिए उपलब्ध दीर्घकालीन सामाजिक एकता के प्रावधानों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसलिए श्रम बाजार की सामाजिक जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए अतीत के दौरान कार्यान्वित की गई केंद्र राज्य और गैर सरकारी संगठन की पहल जरूरतों को समर्थन प्रदान करने की तुलना में बहुत अधिक नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रो में बढ़ते असंगठित श्रमिकों को एक साथ सम्मिलित करने के लिए प्रयासों को पर्याप्त रूप से लक्षित किया जाना आवश्यकता है। राष्ट्रिय स्तर पर सितंबर, 2020 में सामाजिक सुरक्षा बिल, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ एवं कार्यदशा सहिता बिल 2020 और औधोगिक संबंध सहिता बिल 2020 संसद से पास हो गए, जिनका श्रमिको की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। 2020 में संसद द्वारा पास किए गए विधेयक इसी दिशा में एक प्रयास है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए उपाय :

यह सही है कि जब स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तब सामाजिक सुरक्षा को विशेष रूप से संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 3 में शामिल किया गया था और इसे केंद्र और राज्य सरकारों की समवर्ती सूची की जिम्मेदारी के रूप में बनाया गया था। सामाजिक संविधान के पहलुओं सें संबधित राज्य नीति के कई प्रत्यक्ष सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए थे। विभिन्न अधिनियमों के रूप मे पहल की गयी जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों को सगंठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान करते हैं (PIB-GOI)। हालाँकि यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त अधिनियम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू है। उनका योगदान असंगठित श्रमिकों के लिए बहुत ही नगण्य

है। इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामीण गरीबों और असंगठित श्रम शक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत कुछ नहीं किया गया है।

देश ने उस दिशा में कुछ शुरुआत की है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने असंगठित श्रमिकों को समर्थन करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएँ बनाई है जो असंगठित क्षेत्र की श्रम शक्ति की वास्तविक जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं। इन सभी योजनाओं को समाप्त कर राष्ट्रिय स्तर की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 (नरेगा) को धोषित करना पड़ा। लेकिन यह उच्च स्तर पर घोषित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 (नरेगा) में भी विभिन्न राज्यों में आम वेतन नहीं है और अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए सौ दिन के काम के लिए खुद को सीमित करता है। इससे भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा इस अधिनियम के अनुसार, एक वर्ष में कार्य गारंटी दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है, यह मात्र परिवार के किसी एक ही सदस्य को रोजगार प्रदान करती है संपूर्ण परिवार को नहीं। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रावधान और योजनाये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रही। इसलिए 2008 में विभिन्न लेबर कोड बिल संसद में लाये गए जो सितंबर, 2020 में सामाजिक सुरक्षा बिल, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ एवं कार्यदशा सहिता बिल 2020 और औधोगिक संबंध सहिता बिल 2020 संसद से पास हो गए। जो असंगठित श्रमिकों (घर-आधारित श्रमिको, स्व-नियोजित श्रमिकों या दैनिक-मजदूरी श्रमिकों) को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान और मूल्यांकन :

भारत की एक बड़ी आबादी दशकों से सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न संवैधानिक अधिकार की माँग कर रही थी। लंबे इतंजार के बाद सरकार ने जो घोषणा की वह 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए कुछ संसाधनों के साथ एक निश्चित कानूनी योजना इन प्रावधानों के माध्यम से लागू होगी। (PIB-GOI)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2020, असंगठित श्रमिक को घर-आाधारित श्रमिक, स्व-नियोजित कार्यकर्ता या मजदूरी कार्यकर्ता कें रूप में परिभाषित करती है और इसमें संगठित क्षेत्र का श्रमिक भी शामिल है, जो किसी भी अधिनियम के दायरे में नहीं आता हैं इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित है। इसका अर्थ यह होगा कि संगठित क्षेत्र के कैजुअल और कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स को वर्तमान कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। क्योंकि वे अधिनियम की अनुसूची के निर्दिष्ट कुछ अधिनियम के तहत आते हैं।

इसके अलावा, 'अधिनियम की धारा असंगठित क्षेत्र' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों या स्व-नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला उद्यम और किसी भी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री में लगे रहना या सेवा प्रदान करना और जहाँ उद्यम श्रमिकों को रोजगार देता है ऐसे श्रमिकों की संख्या दस से कम हैं वे अधिनियम के तहत आते हैं। (श्रम मंत्रालय-गवर्मेंट ऑफ इंडिया)

इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी संस्था जो दस या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करके काम करती है, 'असंगठित क्षेत्र' और ऐसी इकाई में कार्यरत श्रमिक इस अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों के हकदार नहीं है। यह परिभाषाएँ वन श्रमिकों और मछली श्रमिकों जैसे आजीविका प्रणालियों पर निर्भर श्रमिकों को भी शामिल करती हैं, जिन्हें घर-आधारित श्रमिकों, स्व-नियोजित श्रमिकों और मजदूरी श्रमिकों के दायरे में नहीं लाया जा सकता हैं। यह अधिनियम असंगठित सीमा पार अस्थायी प्रवासी श्रमिकों को भी कवर नहीं करता है जो निर्माण सफाई घरेलू काम, पेरामेडिकल कार्य और निर्माण और सेवा क्षेत्रों में इस तरह के अन्य व्यवसायों मे गंदे कठिन और खतरनाक नौकरियों में सलंगन होने के लिए अन्य देशो मे गए हैं। जब वे काम करते हैं, तो अपने प्रेशण द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। ये भी एक संवेदनशील समूह हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकता है। अवैतनिक परिवार के कार्यकर्ता और देखभाल कर्मी जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अधिनियम 12 की निश्चित दायरे में शामिल नहीं है।''

यह अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ अधिनियम का शीर्षक अधिनियम असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण चिकित्सा से जुड़े मामलों के लिए प्रावधान प्रदान करता है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर जीवन और विकलांगता स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और किसी भी अन्य लाभ को निर्धारित करने वाली योजनाओं को तैयार और अधिसूचित करेगी। इस अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों का दावा करने के लिए असंगठित श्रमिक को अनुभाग में निर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद उसे स्वंय को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। इन अधिनियम में कुछ भी नया नहीं दिया गया है ये योजनाएँ पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गए लक्ष्य उन्मुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं। यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के एकीकरण के लिए प्रदान करता है। ये सभी असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हैं। इन योजनाओं का आवेदन इस शर्त के अधीन है आवेदक पास परिचय पत्र होना चाहिए। कम से कम ये श्रमिक 6 माह तक नियोक्ता के साथ काम किए हो। अधिकांश शहरी असंगठित श्रमिक इस श्रेणी कें अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को परिचय पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और ना ही उनकी सेवा का कोई वैधानिक रिकार्ड रखा जाता

है, जो अंततः उन्हें योजनाओं के लाभ से बाहर रखता है। अधिनियम कोई भी सुनिश्चित न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

निष्कर्ष : असंगठित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है, इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में विविधता बहुत अधिक है इसलिए असंगठित श्रमिको को किसी एक योजना के तहत लाना अत्यंत मुश्किल है। संसद द्वारा सितंबर, 2020 में पास इन अधिनियमों में श्रम से संबंधित अधिकांश क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है लेकिन एक श्रमिक की सामजिक सुरक्षा बाजार अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन और सरकारी संस्थाओं के क्षतिपूरक प्रयासों से सम्मिलित रूप से निर्धारित होती है इसलिए भारत जैसे देशों में अर्थव्यवस्था की आधारभुत समस्याओं का समाधान किए बिना असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना कठिन है। मौजूद अधिनियम आर्थिक सुधारों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

Referances :

- NSS 66th ROUND (2012), Informal Sector and Conditions of Employment in India, National Statistical Organization Ministry of Statistics & Programme Implementation Government of India,Retrieve from// mospi.nic.in/sites/default/file/publication reports/nss_rep_539.pdf .
- Report (2013-14)on Employment in Informal Sector and Conditions of Informal Employment m Government of India Ministry of Labour & Employment Labour Bureau, Chandigarh , Retrieve from https:// labour.gov.in/sites/default/files/ Report%20vol%204%20final.pdf.
- Report (2018), Women and men in the informal economy: A statistical picture, International Labour Organization, Geneva, retrieve from, https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/—dgreports/— dcomm/documents/publication/ wcms_626831.pdf.
- जामवाल निधि (2020), लोकसभा में श्रम कानून संबंधी तीन विधेयक पास, सरकार ने किया श्रम सुधार का दावा लेकिन मजदूर यूनियन कर रहे हैं विरोध retrieve from https%//www-gaonconnection-com/ read/the&labour&law&codes&before &the&lok&sabha& shortchange&the&migrant&workforce &and&those&from&the &informal&sector& protest&labour&activists&48112\infinitescroll¾1-
- राजपत्र श्रममंत्रालय, गवर्मेंट ऑफ इंडिया (Sept-29, 2020) retrieve from https%//labour-gov-in/sites/default/files/SS_Code_Gazette- pdf -
- रिपोर्ट (2009), ''ओंन एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड कंडिशन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट" 2013-14, लेबर ब्यूरो, चंडीगड, श्रम और रोजगार मंत्रालय, गवर्मेंट ऑफ इंडिया.
- रिपोर्ट (2019) ''इन्फोर्मल सेक्टर ट्रेंड इन द इंडियन इकोनोमी : परसिस्टेंट इन्फोर्मलिटी, बट ग्रोविंग पोजिटिव डेवलपमेंट'' अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ), जनेवा. Retrieve from% https%//www-ilo-org/ wcmsp5/groups/public/&&&ed_ emp/&ifp_skills/documents/publication/wcms_734503-pdf-
- श्रम और रोजगार मंत्रालय (2020) retrieve from https%//pib-gov-in/Press ReleasePage-aspx\PRID¾ 1657924-
- श्रम और रोजगार मंत्रालय (2021) ब्रिक्स देशों के बीच पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह (ईडब्लूजी) की बैठक, retrieve from, https%//pib-gov-in/ PressReleasePage-aspx\PRID¾1718271
- सबनानी, प्रहलाद (2020), नए श्रम कानूनों के लागू होने से देश के आर्थिक विकास को लगेंगे पंख, Retrieve from, http%/ /www-nationalistonline-com/2020/ 10/ 01/the&implementation &of&new&l abor& laws&will&give&w ings&to&the&econo mic&development &of&the & country/-